



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1944 (श10)
(सं0 पटना 272) पटना, वृहस्पतिवार, 5 मई 2022

सं०-01लो०ले०स०-05/22-797—वि०स०
बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक,

अनिल कुमार जायसवाल,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार ।
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार ।

पटना, दिनांक-26 अप्रैल, 2022 ई० ।

विषय:- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का “निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन” तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के “वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” तथा “विनियोग लेखे” को सदन पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का “निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन” तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के “वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” तथा “विनियोग लेखे” को माननीय उप मुख्य (वित्त)

मंत्री द्वारा दिनांक- 30.03.2022 को उपस्थापित किया गया तथा “प्रतिवेदन जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो” के आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

तत्संबंधी पारित प्रस्ताव की टंकित प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,
अनिल कुमार जायसवाल,
उप सचिव।

प्रस्तावना

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का “निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन” तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” तथा “विनियोग लेखे” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 272-571+20-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>